मेरे समक्ष है और हम उसकी जांच कराना चाहते हैं।

SHRI SOMCHAND SOLANKI : Sir, the Vakil Jehangir Mills of Ahmedabad is closed for the last six months and so many representations have been forwarded to the Prime Minister and the Minister also. May I know from the hon Minister as to what is the decision of the Government to run these mills of Ahmedabad ?

SHRI L. N. MISHRA : This was before the High Court and the High Court has recently given the decision. Now, we have decided to hand it over to the Co-operatives and if the Co-operatives come forward, we shall help them also financially through the Industrial Finance Corporation.

चौथी योजना का पुनरीक्षित प्रारूप

+

*828. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षित प्रारूप तैयार कर लिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या प्रारूप पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार का विचार संसद में उस पर चर्चा कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। बहरहाल चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). मूल्यांकन प्रपत्र तैयार हो जाने पर राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और उनके द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता का अनुभव सरकार ने कब किया, सरकार उसके किन किन मुद्दों में परिवर्तन करने का विचार रखती है और इस काम में सरकार को कितना समय लगेगा ?

SHRI MOHAN DHARIA : I have already replied that this will take about three months. Planning is a continuous process. Having regard to our commitments to the people whatever action is required shall have to be taken. That is why the Fourth Plan is being reappraised.

MR. SPEAKER : It should have been linked with the previous question.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या सरकार का इरादा जिसकी घोषणा बार बार की गई है संसद के इस अधिवेशन में फोर्थ प्लान के री-अप्रेजल पर विचार करवाने का है या नहीं है ? अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है ?

SHRI MOHAN DHARIA : This session is not likely to go beyond three months. It is not possible to bring the document on reappraisal of the Plan before this Session of the House.

अध्यक्ष महोदय : वह अगर आप चाहें तो सेशन बढ़ाया जा सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो देना चाहिए। आप खुद जानते हैं कि कई बार वादा कर चुके हैं कि इस पर बहस होगी और इस तरह बराबर इस को यह टालते जा रहे हैं।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : There has been no discussion on the Fourth Five-year plan in this House. So, would the Government try to see that the Fourth Five-year Plan is being discussed before its re-appraisal is discussed in this House ?

SHRI MOHAN DHARIA : There is already a Motion in this House which was

referred to our Ministry. We have given our consent that it should be taken up for discussion during this session so that we shall get fresh ideas from hon. Members which should be useful for a proper re-appraisal of the Fourth Plan.

MR. SPEAKER : There have been already so many questions.

SHRI SAMAR GUHA : For relief and food of the Bangla Desh refugees, as per the note circulated by Rehabilitation Ministry.

MR. SPEAKER : All roads go to that !

SHRI SAMAR GUHA : About three thousand crores are required, but so far only Rs. 30 crores have been received from the foreign countries. I want to know whether as a result of the additional burden regarding food and relief relating to Bangla Desh refugees, our Plan will be reappraised and re-drafted. If not, we want to know how this provision will me met.

SHRI MOHAN DHARIA : At the time of the reappraisal the difficult situation created by the influx of refugees will no doubt be taken into consideration.

1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जिन भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति जब्त की गई थी उनको मुआवजा

*829. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय नागरिकों को अब तक कोई मुआवजा दिया गया है जिनकी सम्पत्ति 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में जब्त कर ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनको मुआवजे में कितनी कितनी राशि दी गई तथा किस किस तिथि को मुआवजा दिया गया ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b). No, Sir. The Government of India have decided to give *ad-hoc* exgratia grants to Indian Nationals and Indian Companies whose properties had been seized by the Governmment of Pakistan during Indo-Pakistan Conflict of September, 1965. Full details of the claims duly supported by documentary evidence have been called for from the parties concerned. The payments will be made as and when the verification of the claims is completed.

श्री मूल चन्द डागा : 1965 से आज तक आप ने किसी को भी कम्पेन्सेशन दिया या नहीं दिया ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने उत्तर दिया कि हाल ही में कार्यकारिणी का फैसला हुआ था कि किस तरह से दिया जाय। लगभग 6 हजार दावेदार हैं और उनकी मांग करीब करीब 109 करोड़ के लगभग है। हम लोग उसकी जांच करवा रहे हैं और जो पाकिस्तान सरकार या उन के नागरिकों की सम्पत्ति इस देश में है उसका मिलान करके और सारी बातें देखकर देने की बात होगी ?

श्री मूल चन्द डागा : जांच करने का आधार क्या है और आप के कम्पेन्सेशन देने का क्या आधार होगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : उनको डाकूमेंट देने होंगे, पूरी तफसील देनी होगी। फिर कस्टोडियन के पास वह जायेगा। उसकी जांच होगी इसी साल तक उसकी अवधि है जब तक कि वह अपनी दरख्वास्त दे दें।

श्री एन० एन० पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब उनको कितना समय लगेगा इस सारे मामले को डिस्पोज आफ करने में ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह अभी तो कहना कठिन है। जब दरख्वास्त देंगे तो देखा जायेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अभी इस में दो बातें कही गई हैं—109 करोड़